

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 23/2025

तारीख दायर :- 28.05.2025

तारीख फैसला :-

1. श्रीमती पालुडी पत्नी धन्ना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री धनसिंह पिता माना मीणा निवासी लकुकालेवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री लाला पिता धन्ना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती नन्दुडी पिता धन्ना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री मांगीलाल पिता केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्री रामचन्द्र पिता केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्रीमती मिटुडी पत्नी केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्रीमती वदामी पिता केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्रीमती सुमित्रा पिता केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती रामी पिता धन्ना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्री सुकी पिता धन्ना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
12. श्रीमती हुडकी देवी पत्नी बंशीलाल मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
13. श्रीमती होमली पिता माना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)



प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री नेता पिता पांचा मीणा निवासी लकुकालेवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 2 श्री प्रताप पिता पांचा मीणा निवासी लकुकालेवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 3 श्री राजु पिता पांचा मीणा निवासी लकुकालेवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 4 श्री हिरा पिता पांचा मीणा निवासी लकुकालेवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

5. श्री कालु पिता माना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) )
6. श्री रूपा पिता माना मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) )
7. श्री लच्छा पिता वाला मीणा निवासी लकुकालेवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्री रोडा पिता भग्गा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) )
9. श्री रामेश्वर पिता भग्गा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्री शंकर पिता प्रभुलाल मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती मीरा पत्नी प्रभुलाल मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
12. श्री बापुलाल पिता केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
13. श्री भंवरलाल पिता केशा मीणा निवासी लकुकालेवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब लसाडिया जिला सलुम्बर।

.....अप्रार्थी

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति - वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से - अनुपस्थित



:-निर्णय:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 207 पुराना 185 के आराजी संख्या 189 रकबा 0.5724 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 193 रकबा 0.1296 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.702 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या नया 248 पुराना 2026 के आराजी संख्या 190 रकबा 0.3132 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम लकुकालेवा पटवार हल्का लकुकालेवा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थी ने अपनी सीमा जानकारी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण प्रार्थी की सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उतारू है, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण व प्रार्थी के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमदा है व प्रार्थी के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थी की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थी की फसल व घास का नुकसान करते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रवीकार फरमाया जाकर ग्राम लकुकालेवा, ग्राम पंचायत लकुकालेवा पटवार हल्का लकुकालेवा के खाता संख्या नया 207 पुराना 185 के आराजी संख्या 189 रकबा 0.5724 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 193 रकबा 0.1296 कुल कित्ता 02 कुल

*(Handwritten signature)*

रकबा 0.702 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या नया 248 पुराना 2026 के आराजी संख्या 190 रकबा 0.3132 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया से जवाब तलब किया गया तहसीलदार लसाडिया द्वारा पेश जवाब में मौके पर सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करने के आदेश होने पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। व पूर्व में सीमाजानकारी के दौरान मौके पर विवाद होने से सीमाजानकारी पूर्ण नहीं हो सकी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम लकुकालेवा पटवार क्षेत्र लकुकालेवा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया 207 पुराना 185 के आराजी संख्या 189 रकबा 0.5724 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 193 रकबा 0.1296 कुल किता 02 कुल रकबा 0.702 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या नया 248 पुराना 2026 के आराजी संख्या 190 रकबा 0.3132 हैक्टेयर भूमि की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रौली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थी की रहेगी भूमि की दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी फीस 1000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक ...6.02.26... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



( दिनेश आचार्य RAS )  
उपखण्ड अधिकारी  
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)